R- 3281/I/ 2015

न्यायालय राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क .... **2015** निगरानी

दिनांक 7-10-15 को श्री संजय कुमार मिश्रा अभि० द्वारा प्रस्तुत।
7-10-15
07/10/15
Sanjay Kumar Mishra SO (Adv)

वृन्दावन पुत्र श्री उमाशंकर शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी–इन्दरवास तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता

बनाम

1. कपूरचन्द्र पुत्र श्री हल्कूराम जाति साहू निवासी– निवासी–इन्दरवास तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

..............प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांकित 22.09.2015 जो प्रकरण कमांक 24/निगरानी/2013 –14 में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी जिला विदिशा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक ग्राम इन्दरवास मे स्थित श्री रामजानकी, श्री शिवजी एवं श्री हनुमानजी मंदिर का सन् 1969 से पुजारी है, उक्त मंदिर की भूमि सर्वे नंबर 74 रकबा 0.888 है0 व सर्वे 171 रकबा 1.884 है0 कुल रकबा 2.772 है0 कृषि भूमि है जो शासकीय रिकॉर्ड मे श्री रामजानकी, श्रीशंकरजी, एवं श्री हनुमानजी प्रबंधक कलेक्टर महोदय विदिशा के नाम अंकित है एवं इस भूमि पर प्रार्थी 1969 से कृषि कार्य कर रहा है। परन्तु 2 वर्ष पूर्व श्री कपूरचन्द्र पुत्र श्री हल्कूराम ने एक आवेदन झूठे शपथ–पत्र के आधार पर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय ग्यारसपुर द्वारा ट्रस्ट बनाने तक मंदिर की व्यवस्था एवं देख रेख हेतु तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता मे एक समिति गठित कर प्रार्थी द्वारा बोई गई गेहू और चना की फसल कटवाली ओर उससे प्राप्त उपज की राशि तहसील मे जमा करा ली गई वर्ष 2007–08 उक्त भूमि हुकुम सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3281-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	